

डिक्री व मुकद्दमें इत्दाई  
(आर्डर 20 रूल 6-7 जाक्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्डाधिकारी राजाखेडा

अज इजलास :- देवी सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर: 43/18

1. भीकम सिंह पुत्र श्यामलाल जाति निषाद निवासी ग्राम शंकरपुरा तहसील राजाखेडा  
.....वादी  
नाम
2. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर धौलपुर
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजाखेडा
4. जगदीश पुत्र रामस्वरूप जाति ब्रा० नि० गडराई तहसील राजाखेडा
5. रामबेटी पत्नी भूदेव पुत्री रामस्वरूप जाति ब्राहमण निवासी ग्राम बसयी तहसील खेरागढ़ जिला आगरा (उ०प्र०)
6. रामबती विधवा } फौत 11.04.2022 रामजीलाल जाति ब्राहमण
7. रामदास } निवासी ग्राम गडराई तहसील राजाखेडा
8. बृन्दाबन } पुत्रगण
9. देवेन्द्र }
10. बन्ती }
11. गोरीशंकर पुत्र बाबूलाल जाति ब्राहमण निवासी सेवला अहीर तहसील व जिला आगरा (उ०प्र०)
12. पंजाब नेशनल बैंक जरिये शाखा प्रबन्धक गुनपुर राजाखेडा

.....प्रतिवादीगण

दावा: अधीन धारा 88, 188 एवं इन्द्राज दुरुस्ती, राज०  
काश्तकारी अधि०

निर्णय दिनांक 27.07.2022

मु० नम्बर 43/18

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूवरू मुझ देवी सिंह (आर.ए.एस.) उपखण्डाधिकारी राजाखेडा व हाजिरी श्री विमल कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी, पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि दावा वादी अंतिम डिक्री किया जाकर विवादित आराजी ख० नं० आराजी ख.न. 424 स्थित ग्राम शंकरपुरा में दावा वादी अन्तर्गत धारा 88, 188 आर.टी.ए. स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी का खातेदार वादी एवं प्रतिवादी स० 10 को समान रूप से घोषित किया जाता है एवं प्रतिवादी स० 3 लगायत 9 के राजस्व रिकॉर्ड में हो रहे इन्द्राज लोपित किये जाते हैं। प्रतिवादी सं० 3 ल० 9 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है। दावा डिक्री किया जाता है।

व शब्द मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत के आज दिनांक 27.07.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई



(देवी सिंह)

आर.ए.एस.

उपखण्डाधिकारी, राजाखेडा